राजीव कृष्णा,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या- 21/2026
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ
दिनांक- अप्रैल 04, 2026

प्राथमिकता

विषयः **नेटग्रिड का सुचारू एवं प्रभावी प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रिय महोदया/महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित नेटग्रिड (NATGRID) एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य विभिन्न डाटाबेस को एकीकृत कर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को त्वरित एवं सटीक सूचना उपलब्ध कराते हुए आतंकवाद, गम्भीर अपराधों की रोकथाम के साथ साथ राष्ट्रीय एवं आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित कराना है। यह प्रणाली आतंकवाद, संगठित अपराध एवं अन्य गंभीर अपराधों की रोकथाम एवं जांच में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रही है। श्री हृदेश कुमार, आईएएस, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय आसूचना तंत्र, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.03.2026, 13.02.2026, 08.01.2026, 26.09.2025 के माध्यम से नेटग्रिड के Active User's की संख्या एवं प्रयोग को बढाये जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. प्रदेश में नेटग्रिड के गाण्डीव पोर्टल के उपयोगार्थ Approving Officer की 23 User ID, Supervisory Officer की 33 User ID एवं Authorized Officer की 106 User ID तथा सुदर्शन पोर्टल के उपयोगार्थ कुल 88 User ID बनायी गयी हैं। नेटग्रिड, नई दिल्ली द्वारा फरवरी माह में नेटग्रिड के उपयोग की दक्षता और रैंकिग की गणना राज्य के कुल पुलिस थानो की संख्या के अनुपात में की गयी है, जिसमें उत्तर प्रदेश 15वें स्थान पर है। अतएव नेटग्रिड के सुचारू एवं प्रभावी प्रयोग हेतु निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:-

(i) नेटग्रिड के गाण्डीव व सुदर्शन पोर्टल के प्रयोग को बढाये जाने हेतु आवश्यक है कि Supervisory एवं Approving Officer के स्तर पर इसकी मासिक समीक्षा की जाए।

(ii) कमिश्नरेट एवं जनपद में प्रत्येक माह होने वाली क्राइम मीटिंग में नेटग्रिड के प्रयोग की समीक्षा की जाये।

(iii) सोशल मीडिया की निगरानी हेतु सुदर्शन पोर्टल का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए।

(iv) प्रत्येक महत्वपूर्ण विवेचना/जाँच, संवेदनशील प्रकरणों, साइबर अपराध, फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी, अपहर्ताओं/गुमशुदा की बरामदगी आदि में नेटग्रिड के गाण्डीव पोर्टल का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए।

(v) कमिश्नरेट/जनपदों के सभी सर्किल स्तर पर नेटग्रिड के गाण्डीव पोर्टल का प्रभावी प्रयोग किया जाये। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, कानून-व्यवस्था, उ0प्र0 (नोडल अधिकारी, नेटग्रिड, उ0प्र0 पुलिस) से समन्वय स्थापित कर User Id सृजित करा ली जाए।

(vi) इसी प्रकार कमिश्नरेट/जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की निगरानी के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार सुदर्शन पोर्टल की User Id भी सृजित करा ली जाए।

(vii) इकाई/कमिश्नरेट/जोन/परिक्षेत्र/जनपदों में नेटग्रिड के गाण्डीव व सुदर्शन पोर्टल के उपयोग हेतु सृजित करायी गयी User Id को क्रियाशील रखते हुए पोर्टल का सुचारू प्रयोग किया जाए।

3. नेटग्रिड के माध्यम से प्राप्त होने वाले सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखना हमारी प्राथमिकता है। इस सम्बन्ध में Memorandums of Understanding (MoU) के बिन्दु संख्या 14 में अंकित निर्देश "The User Agency (UA) shall not use any data received through the IT platform of NATGRID as evidence against a person or body in proceedings before a court of law, tribunal, inquiry or any legal proceedings." का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये तथा डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता से सम्बन्धित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(राजीव कृष्णा)

1. पुलिस महानिदेशक,
   आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन/साइबर क्राइम/ सी0आई0डी0, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. पुलिस महानिरीक्षक, ए0टी0एस/ ए0एन0टी0एफ0/भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0।
5. समस्त पुलिस आयुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
7. पुलिस उपमहानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी, उ0प्र0।
9. अपर पुलिस अधीक्षक, सोशल मीडिया सेल, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0। (Designated Officer)
2. पुलिस अधीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0। (Nodal Officer)